राजस्व वाद संख्याः– 58 / 2022
बुधराम बनाम ग्यारसी देवी आदि
निर्णय दिनांकः– 07/02/23

राजस्थान सरकार
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर बुहाना जिला झुन्झुनू(राज.)

पीठासीन अधिकारी :– सुनील कुमार चौहान, आर.ए.एस.
राजस्व आवेदन स. 58 / 2022 जीसीएमएस नम्बर :– 2022 / 79

बुधराम पुत्र हेतराम उम्र 50 वर्ष जाति अहीर निवासी पृथ्वीपुरा (सागा) तह. बुहाना जि. झुन्झुनू (राज.)

.........आवेदक

– ब ना म –

1. ग्यारसी देवी पत्नि जयनारायण
2. चन्दगीराम पुत्र जयनारायण
3. चन्दरो देवी पत्नि प्रसादाराम
4. नरेश पुत्री जयनारायण
5. प्रभातीलाल पुत्र मातादीन
6. फुलचन्द पुत्र तोलाराम
7. बजरंगलाल पुत्र प्रसादाराम
8. बनवारी पुत्र तोलाराम
9. मदन पुत्र हरलाल
10. मुन्नी पुत्री हरलाल
11. रविन्द्रकुमार पुत्र निहालसिंह
12. राजकुमार पुत्र प्रसादाराम
13. लाली देवी पुत्री हरलाल
14. विशम्भरदयाल पुत्र तोलाराम
15. शारदा पत्नि निहालसिंह
16. शारदा पुत्री जयनारायण
17. शीशराम पुत्र जयनारायण
18. संजय पुत्र नरेन्द्र
19. सुमन पुत्री हरलाल
20. सुमित्रा पत्नि नरेन्द्र
21. सरोज पुत्री हरलाल

(1–16) समस्त जाति अहीर निवासी सागा तह. बुहाना जि. झुन्झुनू

(17–21) जाति अहीर निवासी सागा तह. बुहाना जिला झुन्झुनू राज.

22. हरीश पुत्र नरेन्द्र
23. बडौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा बडबर तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू (राज.)
24. आई.सी.आई.सी.आई. बैंक लिमिटेड शाखा [illegible] बुहाना जिला झुन्झुनू (राज.)
25. लैण्ड होल्डर तहसीलदार बुहाना तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू (राज.)

.........अनावेदकगण

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2023.06.23 12:48:07 IST
Reason: SelfAttested

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

उपस्थिति –
1. श्री राजेश कुमार यादव , अधिवक्ता – आवेदक की ओर से ।
2. अनावेदक स. 20 व 22 की ओर से श्री अशोक यादव अधिवक्ता शेष बावजूद तामिल अनुपस्थित होने से एक पक्षीय कार्यवाही अमल मे लाई गई

–:: निर्णय ::–

दिनांक – ....

आवेदक की ओर से हस्तगत आवेदन पत्र – 251(क) राज. कास्तकारी अधिनियम इन संक्षिप्ततः अभिवचनो के साथ प्रस्तुत किया गया हैं कि:–

1. यह कि वाके ग्राम सागा तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू (राज.) स्थित भूमी ख.न. 208 रकबा 0.67 हैक्टर का खातेदार आवेदक व उसकी माता रति पत्नि हेतराम के नाम खातेदारी दर्ज है। आवेदक की माता की मृत्यु हो चुकी है आवेदक ही उसका एकमात्र उत्तराधिकारी है।
2. यह कि आवेदक की भूमि ख.न. 208 रकबा 0.67 है. के पूर्व में ख.न. 197 रकबा 3.36 है. स्थित है जो अनावेदक सं. 1 लगायत 22 के नाम खातेदारी में दर्ज है ख.न. 208 रकबा 0.67 है. के लिये कटानी कोई रास्ता नही है ख.न. 197 मे से मौके पर रास्ता मौजूद है इस रास्ता से ख.न. 208 में फसल कास्त करने काटने लाटने के लिये आया जाया जाता है इसके अलावा अन्य कोई रास्ता मौके पर नही है तथा ख.न. 208 से ख.न. 197 में स्थित रास्ता से सबसे निकटतम दूरी है ख.न. 208 की उत्तरी – पूर्वी सीमा से ख.न. 197 में स्थित रास्ता तक सबसे कम दूरी है आवेदक द्वारा चाहा गया रास्ता नजरी नक्शे में दर्शाया गया है।
3. यह कि आवेदक की भूमि ख.न. 208 में फसल काटने लाटने एवं कास्त करने फसल की उपज घर पर एवं बाजार मे ले जाने के लिये 10 फीट चौड़ा रास्ता की आवेदक को आवश्यकता है उक्त रास्ता रिकार्ड में कायम करने हेतु आवेदक डी. एल.सी. दर की दौगुनी राशी का भुगतान करने को तैयार एवं तत्पर है आवेदक की भूमि तक पहुॅचने के लिये ओर कोई वैकल्पिक रास्ता भी मौजूद नही है इसलिए आवेदक रास्ता कायम करवाने एवं मौका पर व रिकार्ड मे इसे रास्ता दर्ज करवाने का अधिकारी है आवेदक की भूमि मे जाने के लिये इसके अलावा ओर कोई रास्ता नही है अनावेदकगण आवेदक को अपनी भूमि मे से आवेदक की भूमि से रास्ता तक आवागमन में बाधा कारित करते है या यह रास्ता रिकार्ड मे दर्ज नही होता है तो आवेदक को ऐसी अपूर्तनीय क्षति है जिसका मुद्रा में मुल्याकंन नही किया जा सकता है।
4. यह कि आवेदन पत्र के लिये आधार विवाद आवेदक की भूमि ख.न. 208 के लिये रास्ता की इस प्रस्तावित रास्ता के अलावा अन्य वैकल्पिक रास्ता नही है तथा आवेदक की भूमि ख.न. 208 के लिये अनावेदकगण की भूमि ख.न. 197 मे से जाने वाले रास्ता तक आवेदक द्वारा चाहा गया रास्ता सबसे नजदीक एवं सुलभ व सुविधजनक होने से पैदा हुआ है। वैसे भी इस प्रकार के आवेदन के लिये आधार विवाद सदैव ही बना रहता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2023.06.23 12:48:07 IST
Reason: SelfAttested

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

5. यह कि आवेदन पत्र मे वर्णित भूमि वाके ग्राम सागा मे स्थित है जो न्यायालय श्रीमानजी की हदूद मे होने से यह आवेदन पत्र सुनवाई का क्षेत्राधिकार न्यायालय श्रीमानजी को प्राप्त हैं।
6. यह कि अनावेदक सं. 2 ने अनावेदक सं. 23 से तथा अनावेदक सं. 11 ने अनावेदक सं. 24 से ऋण ले रखा है अनावेदक सं. 25 लैण्ड होल्डर होने से उन्हे पक्षकार बनाया गया है।
7. यह कि आवेदन पत्र 2/–रू. कोर्ट फीस पर सेवामे पेश हैं।
8. यह कि आवेदन पत्र के समर्थन मे आवेदक का शपथ पत्र पेश हैं।

अतः आवेदन पत्र पेश कर निवेदन हैं

(क) कि वाके ग्राम सागा तहसील बुहाना स्थित ख.न. 197 मे से स्थित रास्ता से ख.न. 197 मे से आवेदक की भूमि ख.न. 208 रकबा 0.67 है. तक ख.न. 208 की उत्तरी पूर्वी सीमा के सामने से ख.न. 197 मे से 10 फीट चौड़ाई मे रास्ता कायम कर उक्त रास्ता को राजस्व रिकार्ड मे गै.मु.रास्ता दर्ज कर इसे मौके पर भी 10 फीट चौड़ाई में सीमाकन एवं मापन कर कायम किये जाने की कृपा करे।

(ख) कि आवेदक का आवेदन पत्र विरूद्ध अनावेदकगण स्वीकार कर अन्य कोई अनुतोष जिसका आवेदक वाजिब हकदार हो आवेदक को दिलवाये जाने की कृपा करे।

आवेदन पत्र दर्ज रजिस्ट्रर कर अनावेदकगण की तलबी जारी की गई प्रतिवादी सं. 1 लगायत 19 व 21 ,23, 24, 25 बावजूद तामिल होने पर अनुपस्थित रहने पर उनके खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही की गई प्रति. सं. 20 व 22 की ओर से श्री अशोक यादव, अधिवक्ता– उपस्थित आये जिन्होने अपना जवाब आवेदन पत्र निम्न अभिवचनों के साथ पेश किया कि–

1. यह कि प्रार्थना पत्र का खण्ड न. 1 जानकारी के अभाव मे स्वीकार नही हैं।
2. यह कि प्रार्थना पत्र का खण्ड न. 1 जिस भांति दर्ज किया हैं स्वीकार नही हैं प्रार्थना पत्र मे वर्णित कृर्षि भूमि ख.न. 197 रकबा 3.36 हैक्टर की सहखातेदार अप्रार्थी स.1 व अन्य खातेदार भी दर्ज राजस्व रिकॉर्ड हैं ख.न. 197 रकबा 3.36 हैक्टर बाहमी बंटवारे मे अप्रार्थी स.20 के हिस्से मे आया हैं जिस पर अप्रार्थी स. 20 काबिज कास्त हैं अप्रार्थी स. 20 के कब्जे कास्त हिस्से के ख.न. 197 में से कोई रास्ता कटानी या प्रचलित रास्ता नही हैं अप्रार्थी स. 20 गरीब व संख्या बल मे कम हैं तथा प्रार्थीगण संख्याबल व धनबल मे मजबूत हैं इस कारण प्रार्थीगण ने यह झूठा मुक्दमा किया हैं जबकि प्रार्थीगण के खेत ख.न. 208 के पश्चिम में ख.न. 209 व 560/207 की मध्य से होता हुआ कटानी रास्ता ख.न. 210 स्थित हैं तथा सबसे छोटा व वैकल्पिक रास्ता मौजूद हैं जो वर्तमान मे भी सुचारू रूप से चालू हैं प्रार्थीगण ने नजरी नक्शा गलत बनाकर पेश किया हैं जब मौके पर राजस्व रिकॉर्ड मे कटानी रास्ता ख.न. 210 स्थित हैं तथा ख.न. 209 व 560/207 की मध्य मेड पर से प्रार्थीगण अपने खेत मे कास्त करने व [illegible] ले जाने के काम मे ले रहे हैं तो प्रार्थीगण को दूसरा रास्ता दिया जाना [illegible] रूप से वैध नही हैं । प्रार्थीगण का कई रास्ते लेने का कानूनी रूप से अधिकार नही हैं अप्रार्थी स. 20 के

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2023.06.23 12:48:07 IST
Reason: SelfAttested

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

कब्जेशुद्बा खातेदारी रास्ते की कृषि भूमि ख.न. 197 मे से कोई रास्ता नही हैं तथा ना ही अप्रार्थी स. 20 के खेत के पास से कोई रास्ता हैं।

3. यह कि प्रार्थना पत्र का खण्ड न. 3 गलत होने से स्वीकार नही हैं जब प्रार्थीगण के खेत ख.न. 208 के पश्चिम मे स्थित ख.न. 209 व 560/207 के मध्य से ख.न. 210 कटानी रास्ता तक रास्ता हैं तो प्रार्थीगण ख.न. 209 व 560/207 से प्राप्त करने की अधिकारी हैं लेकिन अप्रार्थी स. 20 कमजोर व गरीब होने के कारण अप्रार्थी स. 20 की कब्जेशुद्बा खातेदारी कृषि भूमि मे से रास्ता लेने बाबत यह झूठा प्रार्थना पत्र पेश किया हैं अप्रार्थी स. 20 को डी.एल.सी. की दुगुनी राशि नही चाहिए तथा आवेदक की कृषि भूमि तक पहुँचने के लिए ख.न. 209 व 560/207 से सटकर कटानी रास्ता ख.न. 210 स्थित हैं प्रार्थीगण के पास पहले से वैकल्पिक रास्ता होने से प्रार्थीगण दुसरा रास्ता प्राप्त करने का अधिकारी नही हैं प्रार्थीगण को किसी प्रकार की कोई क्षति नही हैं प्रार्थीगण के खेत ख.न. 208 में आने जाने के लिए कटानी रास्ता ख.न. 210 होते हुए भी अप्रार्थी स. 20 के खेत मे से दिया जाता हैं तो अप्रार्थी स. 20 के खेत के कई टुकड़े हो जायेगे। जिससे अप्रार्थी स. 20 को अपने खेत को कास्त जुताई , बुवाई करने व सुरक्षा देखभाल करने मे काफी परेशानी हो जायेगी। जिससे अप्रार्थी स. 20 कैसी अपूर्तनीय क्षति होगी। जिसका मुद्रा मे मूल्यांकन नही किया जा सकेगा। प्रार्थीगण की महज सुविधा व अप्रार्थी स. 20 को हैरान परेशान करने के उदेश्य से कानून मे रास्ता दिये जाने का कोई प्रावधान नही हैं।

4. यह कि प्रार्थना पत्र का खण्ड न. 4 जिस भांति दर्ज हैं स्वीकार नही हैं प्रार्थीगण के खेत ख.न. 208 मे कास्त करने जुताई , बुवाई करने का कदीमी कटानी रास्ता खर.न. 210 से होता हुआ ख.न. 560/207 व ख.न. 209 की मध्य मेड से होता हुआ कदीम से अपने खेत ख.न. 208 को कास्त करता रहा हैं तथा प्रार्थीगण के पास उक्त रास्ता होने के कारण प्रार्थीगण को कोई परेशानी नही हो रही हैं इस कारण प्रार्थीगण को प्रार्थना पत्र पेश करने का कोई आधार विवाद नही हुआ हैं तथा महज प्रार्थीगण को सुलभ व सुविधा के लिये रास्ता दिये जाने का कोई कानून नही हैं उक्त धारा मे साफ रूप से व्याख्या की गई हैं कि केवल सुविधाजनक उपयोग के लिये रास्ता नही दिया जा सकता हैं इसलिए प्रार्थीगण का यह प्रार्थना पत्र खारीज किये जाने योग्य हैं।

5. यह कि प्रार्थना पत्र का खण्ड न. 5 कानूनी हैं उतर की आवश्यक्ता नही हैं।

6. यह कि प्रार्थना पत्र का खण्ड न. 6 जानकारी के अभाव मे स्वीकार नही हैं।

7. यह कि प्रार्थना पत्र का खण्ड न. 7 में प्रार्थना पत्र कम कोर्ट फीस पर पेश किया हैं जो कम कोर्ट फीस होने के कारण खारीज होने योग्य हैं।

दोनो पक्षो द्वारा किये गए अभिवचनो के आधार पर तहसीलदार बुहाना से मौका रिर्पोट मंगवाई गई जिन्होने आवेदक द्वारा चाहे गये स्थान पर रास्ता 24 गुणा 4 कुल 96 वर्गमीटर का प्रस्तावित किया तथा खसरा न. 560/207 व 209 की सीमा पर से दूसरा रास्ता प्रस्तावित [illegible] 110 गुणा 4 कुल 440 वर्गमीटर का हैं उक्त रिर्पोट प्रस्तुत होने पर अप्रार्थी [illegible] 20 ने आपत्ति प्रस्तुत की एवं निवेदन किया कि रिर्पोट [illegible] मौका स्थिति [illegible] नही बनाई गई तथा आपत्ति में फूलाराम बनाम पवन कुमार आदि 2020 (2) [illegible] आर.टी. पेज 979 के दृष्टांत का

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2023.06.23 12:48:07 IST
Reason: SelfAttested

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

उल्लेख किया लेकिन प्रस्तुत नही किया एवं रिर्पोट को झुठा होना बताया तथा खसरा न. 197 मे से कोई रास्ता नही होना एवं उक्त खेत मे से रास्ता दिये जाने से उक्त खेत के कई टुकड़े होने का उज्र उठाया आवेदक ने उक्त आपत्ति पर मौखिक बहस की दोनो पक्षो की बहस सुनी गई आवेदक की ओर से डी.एन.जे. 2022(1) रेवन्यू पेज 1 प्रस्तुत किया एवं निवेदन किया कि मौके पर कोई वैकल्पिक रास्ता नही हैं एवं तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत रिर्पोट में यह स्पष्ट उल्लेख किया गया हैं कि खसरा न.197 में मौके पर रास्ता हैं एवं इस रास्ते पर ग्राम पंचायत द्वारा ग्राम सागा से लेकर निमली जोहड़ी तक ग्रेवल सड़क बनाकर रास्ता का दुरुस्तीकरण एवं समतलीकरण किया हुआ हैं। एवं इसी रास्ते से आवेदक के खेत तक 24 गुणा 4 मीटर प्रस्तावित रास्ता हैं। तहसीलदार बुहाना की रिर्पोट एवं नजरी नक्शा एवं राजस्व रिकॉर्ड एवं आवेदक द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त का सहसम्मान अध्यन किया गया हैं अप्रार्थी स. 20 व 22 की आपत्ति स्वीकार योग्य नही हैं क्योकि खसरा न. 197 मे से मौके पर रास्ता मौजूद हैं एवं उस पर ग्रेवल सड़क बनी हुई हैं जहां से केवल 24 मीटर लम्बाई एवं 4 मीटर चौडाई मे आवेदक को रास्ते की आवश्यक्ता हैं एवं उसके पास कोई वैकल्पिक रास्ता नही हैं। इसलिए अनावेदक स. 20 व 22 द्वारा प्रस्तुत आपत्ति खारीज की जाती हैं। एवं मुताबिक तहसीलदार बुहाना की रिर्पोट के आवेदक द्वारा चाहा गया रास्ता हेतु यह आवेदन पत्र स्वीकार किया जाता हैं।

:: आदेश ::

अतः वाके ग्राम सागा स्थित भूमी ख.न.197 रकबा 3.36 हैक्टर मे से प्रचलित आम रास्ता ग्राम सागा से नीमली जोहड़ी को जाता हैं जिस पर पंचायत द्वारा ग्रेवल पूर्व मे की हुई हैं ख.न. 208 के उतरी पूर्वी कोने से रास्ते की दूरी 24 गुणा 4 मीटर कुल 96 मीटर जो सबसे नजदीक हैं तहसीलदार बुहाना को रिकॉर्ड में गै.मू. रास्ता दर्ज करने का आदेश दिया जाता हैं। तथा तहीलदार बुहाना को ओदश दिया जाता हैं कि वह उक्त रास्ते का सीमांकन एवं मापन कर मौके पर रास्ता कायम करे एवं राजस्व रिकॉर्ड में राजकीय गै.मू. रास्ता दर्ज करे तथा डी.एल.सी. रेट की दोगूनी राशि का निर्धारण करे आवेदकगण उक्त राशि तहसीलदार बुहाना के जहां जमा कर जमा रसीद प्राप्त करे तथा तहसीलदार बुहाना उक्त राशि का भुगतान नियमानुसार अप्रार्थीगण को करे पत्रावली फसल सुमार होकर दाखिल दफतर हो।

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलेक्टर बुहाना

यह निर्णय आज दिनांक 07/02/23 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में लिखाया जाकर मेरे हस्ताक्षर इस न्यायालय की मुद्रा से मुद्रांकित कर सुनाया गया हैं।

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलेक्टर बुहाना

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2023.06.23 12:48:07 IST
Reason: SelfAttested